



2026:AHC:6775

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19393 वर्ष 2025

बादामा सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अखिलेश सिंह, लालता प्रसाद, प्रभात कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेंद्र सिंह और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 2005 में वन विभाग में एक दैनिक मजदूर, वन रक्षक (वन रक्षक) के रूप में कार्यरत था और दावा यह है कि वह वरिष्ठ की अत्यधिक संतुष्टि के लिए बिना किसी अवकाश के लगातार काम कर रहा है, हालांकि, रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान का हकदार नहीं बनाया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. वर्तमान याचिका में रिट याचिकाकर्ता को न्यूनतम वेतनमान प्रदान करने का प्रार्थना किया गया है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जो भी प्रश्न उठता है वह यह होगा कि क्या रिट याचिकाकर्ता पहले से ही काम कर रहा है और उसकी पात्रता के प्रश्न हैं, पहली बार में दूसरे प्रतिवादी, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागिया निर्देशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुट, द्वारा परीक्षण की जानी है, इस प्रकार, उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है।
5. इस तरह की प्रस्तुतियों के लिए, रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
6. न्यायालय में इस तरह की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रत्यावेदन को वरीयता देने का निर्देश दिया गया है दूसरा प्रतिवादी, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभागिया निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुट 22.01.2026 तक उक्त प्रस्ताव पर, दूसरा प्रतिवादी रिट याचिकाकर्ता की पात्रता और दावे की परीक्षण करेगा और उसके बाद दो माह के भीतर आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा और, यदि रिट याचिकाकर्ता रिट याचिका संख्या 12358 वर्ष 2019 (राम नरेश और ओटेहर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में निर्णय के आलोक में उक्त लाभों का हकदार है, रिट याचिका संख्या 18119 वर्ष 2019 (राम औतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 18693 वर्ष 2020 (मो. सहीम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य), रिट याचिका संख्या 2844 वर्ष 2023 (सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के मामले में उक्त लाभ रिट याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार यथाशीघ्र प्रदान किए जाएं।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

आदेश दिनांक: जनवरी 12, 2026

राजेश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।